The Academic
International Journal of Multidisciplinary Research

An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 3 | Issue 7 | July 2025
ISSN: 2583-973X (Online)
Website: www.theacademic.in

भारतीय संघवाद की नई प्रवृत्ति के रूप में आक्रामक संघवाद का विश्लेषणात्मक अध्ययन

प्रिया यादव

सहायक प्राध्यापक, आर्य महिला पी.जी.कॉलेज, वाराणसी

DOI : https://doi.org/ 10.5281/zenodo.16793333

ARTICLE DETAILS

Research Paper

Accepted: 21-07-2025

Published: 10-08-2025

Keywords:

संघवाद, केंद्र सरकार, क्षेत्रीय सरकार, विकेन्द्रीकरण, आक्रामक संघवाद

ABSTRACT

भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक व विविधतापूर्ण देश की प्रख्यात संघीय व्यवस्था, समय के साथ परिवर्तित होते हुए राजनीतिक और सामाजिक–आर्थिक आयामों के कारण निरंतर बदलावों की साक्षी बनी है। जिस देश में अलग–अलग धर्मों, पृष्ठभूमियों और संस्कृति से संबंधित लोग एक साथ रहते हैं, वहाँ ना तो एक सरकार के लिए यह संभव है की वह पूरे देश के लिए कानून निर्माण करे और ना ही यह विभिन्न भाषा, धर्म, संस्कृति से संबंधित लोगों के लिए हितकारी सिद्ध होगा यह शोध पत्र मुख्य रूप से भारतीय संघवाद के सैद्धांतिक और व्यावहारिक पक्षों के विश्लेषणात्मक अध्ययन पर आधारित है इस शोध पत्र द्वारा संघवाद के बदलते तथा नए आयामों की जांच के साथ ही संवैधानिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सहकारी और सहयोगी संघवाद की आवश्यकता को प्रकाशित करेगा।

परिचय

भारतीय संविधान का संघीय चरित्र इसकी प्रमुख विशेषताओं में से एक है। संघवाद एक ऐसा शब्द है जिसके समयानुसार विभिन्न शाब्दिक व वैचारिक प्रयोग ने इसके वास्तविक अर्थ को विकृत कर दिया है। लोकतंत्र की ही भॉति विभिन्न व्यक्तियों के लिए संघवाद का भी विभिन्न अर्थ है। अपने मूल अर्थ में संघवाद केंद्र सरकार व राज्य सरकारों के मध्य विधायी और कार्यकारी शक्ति का विभाजन है जिससे प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। भारत जैसे भिन्न–भिन्न धर्मो पृष्ठभूमियों और संस्कृतियों से संबंध रखने वाले लोगों के देश के लिए संघवाद और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसी स्थिति में न तो एक सरकार के लिए यह संभव होगा की वह पूरे देश के लिए कानून बनाए और ना ही यह उन लोगों के लिए वांछनीय होगा जो विभिन्न संस्कृतियों, भाषा और विविध पृष्ठभूमि से संबंध रखते हैं। इसलिए केन्द्र सरकार भारत के सम्पूर्ण अथवा किसी भी हिस्से के लिए कानून निर्माण

का कार्य कर सकती है तथा संबंधित राज्य सरकारें विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार कानून बना और लागू कर सकती है।

आधुनिक विस्तृत राज्यों का शासन केन्द्रीय रूप में नही किया जा सकता है अतः शासन की सुविधानुसार राज्यों को कई इकाईयों में बांटा जाता है। शासन व्यक्ति के एक स्तर पर केन्द्रीकरण या अनेक स्तरों पर वितरण के आधार पर शासन व्यवस्थाओं के तीन प्रतिमान मान्य रहे है। सबसे पहले, यहाँ शासन के एकात्मक मॉडल पर चर्चा की जाएगी। इस प्रकार की सरकार में, सभी शक्तियाँ संघ सरकार के पास केंद्रित होती हैं। दूसरे, संघीय शासन मॉडल में सभी शक्तियाँ राज्य और केंद्र सरकार के बीच वितरित होती हैं। तीसरे, संघीय शासन प्रणाली में, केंद्र सरकार, कमजोर शक्तियों के साथ, राज्यों पर सीमित नियंत्रण रखती है।

केन्द्र व राज्य के मध्य संबंधों के आधार पर सरकार को एकात्मक व संघात्मक सरकार के रूप में दो वर्गों में विभाजित किया गया है। संविधान सभा के समक्ष यह चुनौती थी कि वह किस प्रकार की व्यवस्था को स्वीकार करें ? इसलिए, इसे सरल बनाने के लिए, भारत ने व्यवस्था को संतुलित ढंग से चलाने का निर्णय लिया। देश के विभिन्न भागों (राज्यों) के लिए, उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिसमें प्रत्येक राज्य को कुछ स्वतंत्रता प्राप्त हो, जिसे संघीय व्यवस्था कहा जाता है। लेकिन भारत की मूल भावना या हृदय (आत्मा) के लिए, उन्होंने एक एकीकृत व्यवस्था बनाई जिसे एकात्मक व्यवस्था कहा जाता है। भारत को संघ कहने के बजाय उन्होंने कहा कि यह राज्यों का संघ है, जिसका अर्थ है कि राज्य देश छोड़ने का विकल्प नहीं चुन सकते।

संघवाद की अवधारणा

भारत की संघीय व्यवस्था धीरे–धीरे विकसित हुई, जो इसके अनूठे इतिहास से प्रभावित थी और आंशिक रूप से अमेरिकी संविधान से प्रेरित थी। संघवाद की अवधारणा लैटिन मूल की है, जिसका अर्थ है विभिन्न राज्यों या शक्तियों का संघ। समय के साथ, भारत का संघीय ढांचा अपनी विविध संस्कृतियों, भाषाओं और क्षेत्रों के अनुकूल बना है, जिससे केंद्र और राज्य सरकारों के बीच अधिकारों का संतुलित वितरण संभव हुआ है। ज्ञातव्य है कि संघवाद का अंग्रेजी अनुवाद Federalism शब्द लैटिन भाषा के शब्द 'Foedus' से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ समझौता या अनुबंध हैं। संघ दो प्रकार की सरकारों के बीच एक विशेष मित्रता की तरह होता है। वे सत्ता साझा करने के लिए सहमत होते हैं ताकि दोनों मिलकर काम करते हुए अपने–अपने क्षेत्र की देखभाल कर सकें तथा भारतीय परिप्रेक्ष्य में संघवाद को केन्द्रीय, राज्य तथा स्थानीय सरकारों के मध्य अधिकारों के वितरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। भारतीय प्रशासन में शक्ति का प्रवाह केन्द्र से पंचायत की ओर है, इसी कारण देश में विकेन्द्रीकरण आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केन्द्र सभी शक्तियों का अधिग्रहण न करे और यही संघवाद की आवश्यकता को जन्म देता है तथा यह अवधारणा देश के अंतर्गत विविधता को कायम रखने में मदद करता है।

फेडरलिज्म के प्रमुख सिद्धान्तकार के0 सी0 व्हेयर का मानना है कि 'फेडरलिज्म केन्द व क्षेत्रीय शक्तियों के बीच शक्ति का विभाजन है। इस शक्ति विभाजन के माध्यम से केन्द्र व क्षेत्रीय शक्तियॉ एक दूसरे से समन्वय स्थापित करते हुए भी अपने–अपने क्षेत्र में एक दूसरे से स्वतंत्र रहती है। डब्ल्यू0 एच0 राइकर इस सिद्धान्त को और स्पष्ट करते हुए लिखते है कि केन्द्र व राज्य क्षेत्रीय स्थानीय शक्तियॉ एक ही भूभाग में शासन करते हुए बहुत से मामलों में एक दूसरे से स्वतंत्र होकर निर्णय लेते है।' कुल मिलाकर फेडरलिज्म का मुख्य विचार यह है कि सामान्यतः इसमें सरकार के दो स्तर होते है एक क्षेत्रीय स्तर पर जो कि स्वशासन पर बल देता है तथा दूसरा फेडरल या संघ स्तर पर जो कि साझा शासन को महत्व देता है।

फेडरलिज्म के प्रारंभिक सिद्धान्तकारों द्वारा विशेषकर सरकार की संरचना व प्रक्रिया पर बल देते हुए इसकी सांस्कृतिक व सामाजिक, आर्थिक पक्ष की अवहेलना कर दी गई किन्तु बाद के सिद्धान्तकारों द्वारा इसपर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया। उदाहरण के लिए विल किम्लिका जो कि एक कनाडियन राजनीतिक सिद्धान्तकार है, फेडरलिज्म या संघवाद के सिद्धान्त में बहुसंस्कृतिवाद के विचार को पर्याप्त महत्ता देते है। विल किम्लिका के बहुसंस्कृतिवाद के सिद्धान्त की प्रासंगिकता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बहुत से उभरते संघात्मक व्यवस्था वाले देशों में भौगोलिक नहीं वरन सांस्कृतिक विविधताओं के कारण संघात्मक संविधान को अपनाया गया। उदाहरण के लिए 1950 में भारत, 1957 में मलेशिया, 1993 में रशिया तथा 1996 में दक्षिण अफ्रिका।हालांकि भौगोलिक कारणों को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता है, इसलिए इस बात की सत्यता को स्वीकार करना होगा कि संघात्मक संविधान को अपनाने के लिए प्रमुख उत्तरदायी कारकों में भूगोंल व सांस्कृतिक विविधता समान रूप से महत्वपूर्ण है।

भारतीय संघवाद की बदलती प्रवृत्ति : एक विश्लेषण

भारत के संविधान निर्माण के बाद से, केंद्र सरकार और अलग–अलग राज्य आपस में कैसे काम करते हैं, यह हमेशा एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कभी–कभी पेचीदा विषय रहा है। इसमें बोली जाने वाली भाषाएँ, राज्यों के विभाजन या संयोजन के तरीके में बदलाव, कुछ राज्यों को विशेष अधिकार देना, या राज्य के भीतर झगड़े या हिंसा जैसी समस्याओं से निपटना जैसी बातें शामिल हैं।

स्वतंत्रता पश्चात जिस राजनीतिक दल ने सत्ता ग्रहण की वे केवल केन्द्र को शक्तिशाली बनाने के पक्ष में थें। इसके लिए राज्यपाल के पद तथा राष्ट्रपति के शक्तियों का दुरूपयोग तथा अनेक संवैधानिक व गैर–संवैधानिक साधनों को प्रयोग में लाया गया, चाहे वह 1959 में केरल की निर्वाचित कम्यूनिस्ट सरकार को बर्खास्त करना हो या 1971 में इन्दिरा गांधी द्वारा राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार को बर्खास्त करना हो या राज्यपाल की नियुक्ति में मुख्यमंत्री की सलाह ना लेना हो। ऐसे अन्य अनेक कारण है जिनकी वजह से केन्द्र व राज्य के बीच संबंधों में अनेक नए आयाम जुड़े हैं। इसके साथ ही यह भी देखने की आवश्यकता है कि स्वतंत्रता के बाद से भारतीय संघीय

व्यवस्था में किस प्रकार बदलाव आए और यह बदलाव किन दृष्टिकोण के साथ आए। विकास की प्रक्रिया निरंतर ही आगे बढ़ती रहती है, जैसा कि कहा जाता है कि विकास एवं विनाश की प्रक्रिया साथ–साथ चलती है, उसी क्रम में भारतीय संघीय व्यवस्था की विकास प्रक्रिया भी निरंतर अग्रसर है। ना केवल नवीन प्रवृत्तियां उभरी है बल्कि आवश्यकतानुसार नई व पुरानी प्रवृत्ति साथ–साथ भी चली है।

प्रस्तुत शोध पत्र में केन्द्र व विभिन्न राज्य सरकारों के बीच उत्पन्न मनमुटाव से जन्में विभिन्न प्रकार के संघीय मॉडल तथा आक्रामक संघवाद का विशेष रूप से अवलोकन, परीक्षण व विश्लेषण करने का प्रयास किया जा रहा हैं । केन्द्र व राज्य दोनों अपने–अपने क्षेत्र में विशेष स्थान रखते हैं फिर भी संघीय तंत्र के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए इनके मध्य अधिक से अधिक सहभागिता एवं सहकारिता आवश्यक है। इस प्रकार संविधान में केन्द्र–राज्य संबंधों को लेकर विभिन्न मुद्दों पर व्यवस्थाएँ स्थापित

की गई हैं।राजनीतिक संबंधो के बदलते परिप्रेक्ष्य में पिछले कुछ दशकों में भारतीय संघीय व्यवस्था में प्रमुख रूप से चार प्रकार की प्रवृत्तियां दिखाई पड़ती है। सन् 1950 से 1967 तक की समयावधि ऐसी रही है कि जिसमें केन्द्र व राज्य के बीच मतभेद कभी उभर कर सामने नहीं आ पाए। केन्द्र व राज्यों में एक ही दल का शासन होने की वजह से मतभेदों को संगठन स्तर पर ही समाप्त करके संबंधों को मधुर बनाए रखने का प्रयास किया गया जिसे सहयोगी संघवाद की संज्ञा दी जा सकती है। जब 1967 के आम चुनावों में 8 राज्यों में गैर कांग्रेसी गठबंधन की सरकारें बनी तब से केन्द्र–राज्य में तनावपूर्ण संबंधों की शुरूआत हुई तथा संघीय व्यवस्था में दूसरा चरण संघर्षात्मक चरण का प्रारंभ हुआ। 1971–72 के चुनाव जीतने के बाद इन्दिरा गांधी द्वारा एक शक्तिशाली केन्द्र की पुनः स्थापना की गई। यह प्रक्रिया राज्यों में हस्तक्षेपी नीति को अपनाने के साथ अत्यन्त केन्द्रीकृत व व्यक्तिनिष्ठ थी। यह वह दौर था जब भारतीय संघवाद में जबरदस्त केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति देखी गई। ये बात सही है कि भारतीय संविधान आपातकाल में संघ को अत्यधिक शक्तिशाली बना देता है किन्तु सामान्य स्थिति में कोई ऐसा होने की बात नहीं कहता है। आरम्भिक वर्षों में केन्द्र सरकार ने ऐसे कई तरीकों का प्रयोग किया जिससे राज्यों के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण हुआ। 'राष्ट्रहित' के नाम पर राज्य सूची के अनेक विषयों का अतिक्रमण किया गया, विषयों को हटाकर, जोड़कर व हस्तान्तरण के माध्यम से केन्द्र ने अपनी शक्तियों को बढ़ाया। योजना आयोग का गठन संसाधनों का नियमन करने के लिए हुआ था पर कई राज्यों द्वारा इस पर संसाधनों की राजनीति करने का आरोप लगाया गया कुल मिलाकर केन्द्र ने शक्तियों का संकेंद्रण कर लिया था।

16वीं लोकसभा चुनाव 2014 के बाद जब केन्द्र में पूर्ण बहुमत से नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी तब केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को संघ व अन्य राज्यों के साथ सुशासन, विकास व समावेशी राजनीति में प्रतिस्पर्धा करने की शुरूआत करते हुए सभी मुख्यमंत्रियों व प्रधानमंत्री की मिलीजुली एक टीम बनाकर कार्य करने की एक नई राजनीतिक प्रक्रिया का प्रारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में इस दौर में भाजपा को एक नवीन राष्ट्रीय राजनीतिक बल के रूप में देखा जा रहा है जो कि भारतीय राजनीति के 'पुनर्राष्ट्रीयकरण' की ओर उन्मुख है। 2014

के चुनावी अभियान में नरेन्द्र मोदी ने सहयोग आधारित संघवाद को राज्यों के सशक्तिकरण के लिए आवश्यक बताया। 2019 के आम चुनाव में जब भाजपा पुनः सरकार में आई तो यह दल भारतीय राज्यों की राजनीति में काबिज क्षेत्रीय दलों के लिए भी महत्वपूर्ण चुनौती बन गया। 2021 में सम्पन्न हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणाम व अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की प्रेरणा से एक नवीन प्रकार के संघवाद की पहल होती नजर आ रही है, जिसे आक्रामक संघवाद की संज्ञा दी जा सकती है। जिसने ना केवल राजनीतिक बल्कि साथ ही साथ प्रशासनिक कार्यपालिका में भी टकराव का बीजारोपण कर दिया है। इसके अतिरिक्त संविधान निर्माताओं की आशाओं के विपरीत राज्यपाल द्वारा अपनी शक्तियों का अनुचित प्रयोग केन्द्र व राज्यों के बीच संसाधनों का आवंटन, केन्द्र से निर्देश, सैन्य बलों का फैलाव, आई0ए0एस0 कैडर नियम 1954 में प्रस्तावित संशोधनों ने भी केन्द्र व राज्यों के मध्य टकराव की शुरूआत कर दी है।

अजीत मोहन बनाम विधानसभा NCT of Delhi और अन्य (2021) के मामलें में माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना था,की किसी भी व्यवस्था के सुचारू रूप से काम करने के लिए केन्द्र सरकार व राज्य सरकारों को बेहतर शासन के लिए हाथ से हाथ मिलाकर काम करना होगा या कम से कम साथ–साथ चलना होगा।

पिछला कुछ वर्ष देश के लिए अत्यन्त कठिन समय रहा है जिसमें केन्द्र व राज्य सरकारों के बीच सहयोग व समन्वय की आवश्यकता है, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणाम के पश्चात राज्य में उत्पन्न अव्यवस्था व गैर–भाजपा शासित राज्यों का केन्द्र के साथ मनमुटाव संघीय व्यवस्था को आक्रामक संघवाद की ओर ले जा रहा है। उत्पन्न इस नई नकारात्मक प्रवृत्ति से ना केवल देश की राजनीतिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है। बल्कि देश की प्रगति में भी बाधा उत्पन्न हो रहा है। सुशासन सुनिश्चित करने के लिए विवादों पर बातचीत, चर्चा व समाधान हेतु केन्द्र व राज्य सरकारों को संयम से कार्य करने की आवश्यकता है तथा सहयोग की भावना पर आधारित संघवाद की ओर बढ़ने की आवश्यकता है।

भारतीय संघवाद की चुनौतियाँ

भारतीय संघवाद सत्ता के बढ़ते केंद्रीकरण का सामना कर रहा है, जिससे राज्य समान साझेदारों के बजाय अधीनस्थ बन रहे हैं। इससे केंद्र सरकार और राज्यों के बीच, साथ ही अन्य राज्यों के बीच भी संघर्ष और तनाव पैदा हो रहा है। केंद्रीय नीतियों और संस्थाओं में बदलाव के कारण समकालीन चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही हैं, जो भारत में संघवाद के प्रभावी कामकाज को प्रभावित कर रही हैं। संघीय इकाइयों के बीच क्षेत्रीय संवेदनशीलता की बढ़ती प्रमुखता भारत के संघीय ढांचे और राष्ट्रीय एकता, दोनों के लिए खतरा है। अक्सर, राजनीतिक विचारधारा में अलग–अलग क्षेत्रों या उप–राष्ट्रीय संस्थाओं के विशेष उद्देश्यों पर जोर दिया जाता है। यद्यपि इस तरह का ध्यानकेन्द्रीकरण संबंधित क्षेत्र के लिए फायदेमंद हो सकता है,किन्तु यह भारतीय संघवाद की मूल धारणा को बाधित करता है। भारतीय संघवाद की चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं:

- **शक्तियों का केन्द्रीकरण-** भारत की संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण स्वाभाविक रूप से असमान है, जहाँ संघ सर्वोच्च सत्ता रखता है वहीं राज्यों का केंद्र के साथ अपने संबंधों में सीमित प्रभाव होता है, और विवादों में, केंद्र सरकार के निर्णय लगातार राज्यों के निर्णयों पर हावी होते हैं, परिणामस्वरूप, राज्यों ने अपनी अधिकांश स्वायत्तता खो दी है और इस असंतुलन को दूर करने के लिए राज्य समान शक्ति—बंटवारे की मांग कर रहे हैं। यह विषम संघीय ढाँचा भारतीय संघवाद के संघ—विरोधी चरित्र को बढ़ावा देता है। वास्तव में, राज्यों का ध्यान हमेशा एक केंद्र पर है। राज्य वित्तीय मामलों में भी केंद्र पर निर्भर हैं। दरअसल, संविधान में राज्य की राजकोषीय स्वायत्तता के संबंध में कोई विशेष प्रावधान नहीं बताया गया है। परिणामस्वरूप, राज्य संस्थागत ढांचे के संचालन के साथ—साथ दिन—प्रतिदिन के कार्यों के लिए भी संघ पर बहुत अधिक निर्भर रहे हैं। इसके साथ ही, करों और राजस्व का प्रश्न भी है, और राज्य केंद्र की सूचना और अनुमोदन के बिना धन खर्च नहीं कर सकते।
- **केंद्र का पक्षपाती स्वरुप -** वर्तमान में, भारत संघ में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। लेकिन राज्यों की अपनी क्षेत्रीय माँगों को पूरा करने को लेकर समान शिकायतें हैं। हालाँकि, राज्यों के बीच असमानता या केंद्र में राज्य—विरोधी असमानताएँ राज्य की जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर असमान प्रतिनिधित्व के परिणामस्वरूप हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त, राज्यों के दलीय—राजनीतिक प्रतिनिधित्व के कारण, उनके प्रति केंद्र के रवैये को कभी—कभी अनदेखा किया जा सकता है। इस प्रकार, केंद्र के समक्ष राज्यों का प्रतिनिधित्व करते समय, प्रत्येक राज्य को विशेषाधिकार प्राप्त और वंचित, दोनों ही स्थितियों का सामना करना पड़ा है। परिणामस्वरूप, राज्य हित खतरे में हैं और केंद्र के हित अधिकाधिक संकीर्ण होते जा रहे हैं।
- **संघ की सीमा परिवर्तन की शक्ति-** संयुक्त राज्य अमेरिका के अविनाशी राज्य के विनाशी संघ के विपरीत, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ भारतीय संघवाद का प्रमुख आधार है। भारत में, राज्य की प्रकृति में कोई स्थायित्व नहीं है। देश की आवश्यकता के अनुसार राज्य का विभाजन करना संघ की सर्वोच्च शक्ति है। संघ सरकार का यह चरित्र एक ऐसा कारक है जिसके कारण भारतीय संघवाद को अपने वास्तविक संचालन में समस्या का सामना करना पड़ता है।
- **अंतर—क्षेत्रीय असमानताए-** वर्तमान विश्व में शासन प्रणाली ने वैधता और लोकप्रिय स्वीकृति प्राप्त की है क्योंकि वे लोगों की महसूस की गई जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करती हैं। संघवाद भी स्थायी हो गया है क्योंकि यह एक उद्देश्य पूरा करता है। बड़े संघों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा अंतर—क्षेत्रीय विषमताएं हैं। इन असमानताओं को दूर करना संघ की सफलता के लिए आवश्यक है ।योजना आयोग और वित्त आयोग दोनों ने केंद्र से राज्यों को संसाधनों के हस्तांतरण की एक प्रणाली के माध्यम से अंतर—क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने और देश भर में संतुलित, सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में एक रचनात्मक भूमिका निभाई है। अब भी विकास के स्तर में अंतर—क्षेत्रीय असमानताएं जारी हैं जो हमारी संघीय राजनीति

के लिए एक बड़ी चुनौती है। यद्यपि आर्थिक और सामाजिक नियोजन संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में पाया जाता है, केंद्र सरकार को भारत में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय नियोजन पर अनियंत्रित अधिकार प्राप्त है। केंद्र द्वारा नियुक्त योजना आयोग, जो अब नीति आयोग है, के माध्यम से केंद्रीकृत नियोजन, विधायी शक्तियों में संघ की अत्यधिक प्रधानता, राज्यों की केंद्र की दया पर वित्तीय निर्भरता, और राज्यों की प्रशासनिक हीनता, राज्यों को कमजोर बनाती है। भारत में भाषाओं की विविधता प्रायः संघीय भावना के लिए संकट की स्थिति बन जाती है।

- **अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे-** भारत में 22 भाषाएँ हैं जिन्हें संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा, देश भर में सैकड़ों बोलियाँ बोली जाती हैं।समस्या तब उत्पन्न होती है जब केंद्र किसी विशेष भाषा को अन्य राज्यों पर थोपने का प्रयत्न करती है। भारत में आधिकारिक भाषा के लिए संघर्ष आज भी एक ज्वलंत मुद्दा है।दक्षिणी राज्यों द्वारा हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता देने का विरोध करने के कारण भारत में भाषा संबंधी गहरा संकट पैदा हो गया है। भारत धार्मिक विविधता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जो कभी—कभी संघ को कमजोर करने के लिए उथल—पुथल को जन्म देती है। लेकिन धार्मिक प्रक्रिया हमेशा विभाजनकारी नहीं होनी चाहिए। जब तक लोगों की ओर से उचित सहिष्णुता और सरकार की ओर से एक वास्तविक धर्मनिरपेक्ष नीति है, तब तक धर्म संघ में असंतुलन पैदा नहीं कर सकता। भौतिक वातावरण भी संचार को प्रभावित करके संघ के लिए समस्याएँ पैदा कर सकता है। जिस संघ में संचार की रेखाएँ लंबी और कठिन होती हैं, उसे सभी इकाइयों के साथ संपर्क बनाए रखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इससे गलतफहमी और संघर्ष पैदा होना आसान है और शायद यही पूर्वी भाग (बांग्लादेश) के पाकिस्तान से अलग होने का एक महत्वपूर्ण कारण था। बाहरी ताकतें भी संघ के लिए बाधाएँ खड़ी करती हैं। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में तनाव पड़ोसी देशों के हस्तक्षेप के कारण है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अरुणाचल प्रदेश के कुछ भूभाग पर चीन का दावा भारत की क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा है। श्रीलंका में तमिल समस्या भारत में विघटनकारी ताकतों को जन्म देती है। अतीत में खालिस्तान आंदोलन और वर्तमान में कश्मीर मुद्दे ने भी भारतीय संघीय धारणा को क्षीण कर दिया है। वैश्वीकरण के युग ने भारत जैसी संघीय व्यवस्था वाले देश को चुनौतियों के साथ—साथ अवसर भी प्रदान किया है। वैश्वीकरण के मद्देनजर अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के कारण राज्य भी अपने क्षेत्रों में आर्थिक आश्रय बनाने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देकर आर्थिक विकास की इच्छा रखते हैं। संघवाद राजनीतिक भागीदारी के नए रास्ते बनाकर नीतिगत संघर्षों को प्रबंधित करने में मदद करता है और लोगों को सरकार को प्रभावित करने के अधिक अवसर प्रदान करता है। चूँकि राज्य सरकारों और प्रशासनों को अक्सर स्थानीय गतिशीलता और निर्णय लेने के पारंपरिक मानदंडों के बारे में बेहतर जानकारी होती है, इसलिए संघवाद राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाता है। यह अधिक लोगों को राजनीतिक पद के लिए चुनाव लड़ने और उसे धारण करने का अवसर देता है।

निष्कर्ष

भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश के लिए संघीय शासन प्रणाली सबसे उपयुक्त है। यह साझा शासन की विभिन्न संरचनात्मक व्यवस्थाओं के माध्यम से दो विशिष्ट समूहों के बीच सामाजिक–राजनीतिक सहयोग को सुगम बनाने का प्रयास करती है। केंद्र–राज्य संबंध और राज्य स्वायत्तता भारतीय संघवाद के प्रमुख मुद्दे बन गए हैं। केंद्र सरकार ने भारतीय संघवाद की कार्यप्रणाली की जाँच और समीक्षा के लिए 1983 में सरकारिया आयोग का गठन किया, लेकिन इस आयोग द्वारा भारतीय संघवाद की संरचना से संबंधित उचित रूप से कोई उपयोगी सुझाव नहीं दिया गया। केंद्र सरकार ने इस आयोग की कुछ सिफारिशों को बहुत सहजता से स्वीकार कर लिया। भारतीय संघवाद के सुचारू संचालन के लिए, केंद्र सरकार को विभिन्न क्षेत्रों में भाषा, धर्म, संस्कृति आदि से जुड़े उन मुद्दों का समाधान करना चाहिए जो राजनीतिक लाभ के लिए पैदा किए गए हैं। संघवाद के लिए सबसे बड़ा खतरा संघीय इकाइयाँ नहीं हैं, बल्कि संघ स्वयं अराजकता और भ्रम के लिए जिम्मेदार है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

- जैन, पुखराज और बी0एल0 फाडिया, *भारतीय शासन एवं राजनीति.* आगरा : साहित्य भवन पब्लिकेशन, 2003.
- नेमा, जी0पी0 और राजेश जैन, *भारत में राज्यों की राजनीति.* जयपुर : कॉलेज बुक डिपो, 2022.
- नारंग, ए0एस0. *भारतीय शासन एवं राजनीति.* नई दिल्ली : गीतांजलि पब्लिशिंग हाऊस, 2013.
- लक्ष्मीकांत, एम0. *भारत की राज व्यवस्था.* चेन्नई : मैकग्रा हिल एजुकेशन (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड, 2020.
- कश्यप, सुभाष. *हमारा संविधान.* भारत : राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, 2021.
- भट्टाचार्य, हरिहर. ''इण्डियन फेडरलिज्म एण्ड इंडियन कम्यूनिज्म'', *दि इंडियन जर्नन ऑफ पॉलिटिकल साइंस.* 62 (1) (2001) : 41–60.
- झा, रजनी रंजन एवं भावना मिश्र. ''सेंटर – स्टेट रिलेशंस 1980–90 : दि एक्सपीरियेंस ऑफ वेस्ट बंगाल''. *दि इंडियन जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस.* 54 (2) (1993) : 209–239.
- दाधीच, नरेश. *समसामयिक राजनीतिक सिद्धान्त.* जयपुर : रावत पब्लिकेशन्स, 2021.
- राय, आर0 श्रीनिवासन, *'प्रतिस्पर्धी से जुझारू संघवाद तक'.* 28/10/2020. http://www.thehindubusinessline.com
- बाजपेई, अंशुल. *''भारतीय संघवाद : स्थानांतरण प्रतिमान (सहकारिता से जुझारू संघवाद की ओर, भारतीय लोकतंत्र पर एक बड़ा खतरा), आलोचनात्मक विश्लेषण :* 14/02/2022.

http://www.plutusias.com

- सुकुल, शिवशंकर और मुद्रित बराड़. *''भारतीय संघीय संरचनासहकारी या जुझारू''*. 18/11/2020. http://www.wschoolpolireview.com
- वर्मा, ए0 के0. Combative federalism : New Model from West Bengal. http://achuthamenonfedaration.org>Vol_13-34.
- उन्नी, पी0 मुकुन्द. The Era of Combative federalism. The Hindu. 14/02/2022.